न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —26 / 2020(2020 / 00037)

अनवान : —

1. जिन्द्रपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजारारी तहसील भादरा।
2. दयाराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजारारी तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. बलराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
3. केशर पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
4. राजदुलारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेश बंसल वादीगण
श्री योगेश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 15/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता सं 4/4 के खसरा नम्बर 8 की 3.9220 है0, खसरा न0 19/2 की 1.265 है0 खसरा न0 47 की 5.313 है व खसरा न0 73/1 की 2.3650 है0 कुल खसरा 4 की 12.8650 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा मय खातेदारी कृषि भूमि नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा आदराम की खातेदारी हुआ करती थी। आदराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी हरिसिंह के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी हरिसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हरिसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरिसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को वादी के दादा आदराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 4/4 में ईन्तकाल संख्या 327 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/6 हक व हिस्सा निहित है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि ग्राम गुंजासरी के खाता संख्या 4/4 की कुल 12.865 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जिन्द्रपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गुंजासरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 4/4 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा डूंगराना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 532/490 प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी ग्राम गुंजासरी सम्वत 2029 प्रदर्श 3 ता 5, मृत्यु प्रमाण पत्र आदराम प्रदर्श 6ए, सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र पद्रर्श 7ए प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया कि रोही मौजा डूंगराना के खाता संख्या 532/490 के खसरा न0 271 की 5.311 है0 व खसरा न0 291 की 3.010 है0 इस प्रकार कुल 8.321 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा गुंजासरी में सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने राजीनामा में अपना हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क करने की सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता सं 4/4 के खसरा नम्बर 8 की 3.9220 है0, खसरा न0 19/2 की 1.265 है0 खसरा न0 47 की 5.313 है व खसरा न0 73/1 की 2.3650 है0 कुल खसरा 4 की 12.8650 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम गुंजासरी के वर्तमान खाता सं 4/4 के खसरा नम्बर 8 की 3.9220 है0, खसरा न0 19/2 की 1.265 है0 खसरा न0 47 की 5.313 है व खसरा न0 73/1 की 2.3650 है0 कुल खसरा 4 की 12.8650 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः **प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 जिन्द्रपाल एवं वादी सं 2 दयाराम व प्रतिवादी संख्या 2 बलराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्सा पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
खण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:12:26 IST
Reason: SelfAttested